(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ऐसी सुविधा देने का है जिसके अन्तर्गत पंजीकरण कराते समय उन्हें भुगतान न करना पड़े और उन्हें अगर भुगतान करना ही पड़े तो वह धनराशि छोटी-छोटी किश्तों में उनके वेतन से कट जाए; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था कब तक हो जाएगी और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) . बहुत से सरकारी कर्मचारियों ने प्रारम्भिक पंजीकरण राशि जमा कराकर दिल्ली विकास प्राधिकरण में अपना नाम पंजीकृत करवाया है । अत : प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्राइमरी शिक्षा में परिवर्तन लाने की मांग

109. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :**
श्री एम० ए० हनान अलहाज:

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन में, प्राईमरी शिक्षा में परिवर्तन लाने तथा वर्तमान प्राईमरी शिक्षा पद्धति को सातवीं कक्षा तक बढ़ाने की मांग की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) शिक्षा नीति के संबंध में कोई राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Amount Allotted to Kerala for Supply of Drinking Water

110. SHRI SKARIAH THOMAS: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state whether any amount has been allotted to Kerala for supply of Drinking water to villages and interior areas inhabited by Harijans, Agricultural Labourers and Farmers?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT):

Water supply is in the State Sector of the Fifth Five Year Plan and Funds for rural water supply schemes are provided in that Sector.

However, the Government of India have allocated a sum of Rs. 100 lakhs to the State of Kerala under the new Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme during 1977-78 for providing drinking water to problem villages i.e. villages which do not have a source of drinking water within a distance of 1.6 Km. or where water sources are endemic to cholera or where drinking water sources are infested with guinea-worm or where the sources of water have excessive toxic chemicals ilke chlorides, fluorides etc. This allocation of funds is in addition to the funds provided for rural water supply in the State Sector.

Strike in Delhi Milk Scheme

111. SHRI SURENDRA BIKRAM:
SHRI DAYARAM SHAKYA:
Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether staff of Delhi Milk Scheme went on lightening strike on 22-9-77; and

(b) if so, the reasons for the strike and Government's reaction thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) Yes. Sir.

(b) The strike was held abruptly without any notice on the protext of non-registration by the Police of a case of assault on the staff of the Delhi Milk Scheme deployed on one of the distribution routes on the night of 21/22-9-1977.

The strike was illegal and unauthorised. Workers who actively participated in the strike have not been paid their wages for the day of strike i.e. 22-9-1977.

दालों की कमी

112. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :**

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त देश में दालों की जो कमी है उसे दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ख) क्या दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभाग ने अब तक कोई अनुसंधान नहीं किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार निम्नलिखित अल्पावधि व दीर्घावधि उपाय कर रही है :—

(1) अल्पावधि :

उन्नत बीजों, रिजोबियम की खेती, फास्फेटिक उर्वरकों, आवश्यकतानुसार वनस्पति रक्षण उपायों व उन्नत तकनीकों के विषय में कार्मिकों/कृषकों को प्रशिक्षण देकर उत्पादन में वृद्धि करना ।

(2) सिंचित परिस्थितियों में चावल को परती भूमि में अन्तर्वर्ती फसल के रूप में दालें उगाना व गेहूं की फसल के पश्चात् मूंग, उड़द व मटर की अल्पावधि की खेती के क्षेत्र को बढ़ाना ।

(3) चने के साहाय्य मूल्य को 95 रु० से 125 रु० बढ़ाने की घोषणा करना ।

(4) उन्नत बीजों के लिए 100 रु० प्रति क्विंटल की राज-सहायता देना ।

(5) वनस्पति रक्षण रासायनों पर 25 प्रतिशत व वनस्पति रक्षण उपकरणों पर 50 प्रतिशत राज-सहायता देना ।

(6) रिजोबियम का उत्पादन बढ़ाने वाली सरकारों को वित्तीय सहायता देना ।

(ख) जी नहीं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् दालों के विषयों में अनुसंधान कर रही है । विभिन्न फसल प्रतिमानों के अनुसार व्यापक रूप से अपनाई जा सकने व अल्पावधि में तैयार होने वाली विभिन्न सुधरी किस्मों को अभिज्ञात किया जा रहा है । ये किस्में कृषकों द्वारा उगाई जा रही स्थानीय फसलों से अच्छी होंगी । अनुसंधान से यह भी पता चला है कि फास्फेटिक उर्वरकों के प्रयोग से दालों के उत्पादन में बहुत वृद्धि होती है व उनकी उपज के लिए रिजोबियम की खेती लाभप्रद सिद्ध होती है ।

Assistance to Flood Victims of Delhi, Haryana and Rajasthan

113. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the number and names of the social voluntary Organisations